

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2023—पौष 1, शक 1945

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, भगवनिया बाई अहिरवार पति सुखीराम अहिरवार, पता—386, राँझी रोड, बॉयज हॉस्टल के पास, गोकलपुर, जबलपुर. मेरा सही नाम भगवनिया बाई है, मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम संगीता अहिरवार है जो कि गलत है. संगीता और भगवनिया बाई एक ही व्यक्ति है. अर्थात् मुझ एक ही महिला के नाम है. मुझे नये नाम भगवनिया बाई अहिरवार के नाम से जाना—पहचाना जाये.

पुराना नाम
(संगीता अहिरवार)

नया नाम
(भगवनिया बाई अहिरवार)

(G-2413)

नाम परिवर्तन

मैं, सीताराम कीर आ. श्री गोकुल प्रसाद कीर, मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश छोटकी कीर अंकित हो गया है. जबकि उसका सही नाम समीक्षा कीर है. अतः भविष्य में सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरी पुत्री का नाम समीक्षा कीर के नाम से जाना—पहचाना दर्ज किया जावे.

भवदीय,
सीताराम कीर.

(G-2414)

नाम परिवर्तन

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड मे मेरा नाम प्रथम विवाह के पश्चात् श्रीमती राजश्री गोविन्द वांगणेकर पत्नी श्री गोविन्द वांगणेकर एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में प्रथम विवाह के पूर्व नाम कुमारी राजश्री चोपडे पुत्री स्व. भाऊराव चोपडे था एवं मैंने विवाह विच्छेद कर लिया है तथा अब मैंने दूसरा विवाह उपरांत मेरा नाम बदलकर श्रीमती राजश्री विलास सावंत पत्नी श्री विलास बाबाजी सावंत कर लिया है, अब मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाये।

पुराना नाम
(राजश्री गोविन्द वांगणेकर)

नया नाम
(राजश्री विलास सावंत)
निवासी—फ्लैट नं. डी—०३, बंगलोर
नं. सी एम ६४, सैक्टर सी—फरस्ट फ्लोर,
नाबर्ड स्टाफ क्वाटर शाहपुरा,
भोपाल (म.प्र.).

(G-2415)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती मेघा पत्नी श्री राहुल गौहर, निवासी बी—६/१, बी.डी.ए. कॉलोनी, आकृति इको सिटी, सलैया, भोपाल. मेरा वास्तविक नाम मेघा पत्नी श्री राहुल गौहर है. जो कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज है जो कि सही है. मेरे पेन कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम माया है. जबकि मेरा वास्तविक नाम श्रीमती मेघा पत्नी श्री राहुल गौहर है. दोनों ही नाम श्रीमती मेघा एवं माया है एवं मैं दोनों ही नामों से जानी एवं पहचानी जाती हूँ. प्रकाशन उपरांत मुझे श्रीमती मेघा पत्नी श्री राहुल गौहर के नाम से जाना—पहचाना जावे।

पुराना नाम
(माया)

नया नाम
(मेघा)
पत्नी—श्री राहुल गौहर.

(G-2416)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम RAJENDRA SINGH SENGAR है तथा मैं आर्मी से रिटायर्ड कर्मचारी हूँ. मेरे आर्मी के डोक्यूमेंट में मेरे सरनेम की स्पेलिंग SENGAR के स्थान पर SENGER दर्ज हो गया है. जबकि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड आदि में मेरे सरनेम की स्पेलिंग SENGAR दर्ज है. जो कि सही है. अतः भविष्य में मुझे मेरे नाम की सही स्पेलिंग RAJENDRA SINGH SENGAR से ही जाना—पहचाना, पढ़ा—लिखा व उपयोग किया जावे।

पुराना नाम
(RAJENDRA SINGH SENGAR)

नया नाम
(RAJENDRA SINGH SENGAR)
S/o Virendra Singh Sengar
निवासी—बी—१५, शंकरपुरी गोवर्धन कॉलोनी,
गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-2417)

CHANGE OF NAME

Jagdish Prasad Mehra S/o Ram Kumar Mehra. Add- 78, Pratap Nagar, Vidisha Road, Bhanpur Huzur, Bhopal (M.P.). My Name is Jagdish Prasad Jariya S/o Ram Kumar Jariya is registered in my 10th class marksheets certificate whereas my correct name is Jagdish Prasad Mehra S/o Ram Kumar Mehra and this same name is registered in my Aadhar card.

OLD NAME	NEW NAME
(JAGDISH PRASAD JARIYA) S/o Ram kumar Jariya (G-2418)	(JAGDISH PRASAD MEHRA) S/o Ram Kumar Mehra

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जोकि मेरे सर्विस रिकार्ड में शैलेन्द्र सिंह शर्मा आत्मज श्री शिव कुमार शर्मा दर्ज है। मुझे शैलेन्द्र सिंह शर्मा आत्मज श्री शिव कुमार शर्मा के नाम से जाना—पहचाना जाता है। मैं अपना नाम परिवर्तन कर रहा हूँ। मुझे भविष्य में शैलेन्द्र शर्मा आत्मज श्री शिव कुमार शर्मा के नाम से जाना—पहचाना जाये एवं शासकीय एवं अर्ध शासकीय एवं समस्त दस्तावेजों में लिखा पढ़ा व मान्य किया जावे।

<p style="text-align: center;">पुराना नाम (शैलेन्द्र सिंह शर्मा)</p> <p style="text-align: center;">(G-2419)</p>	<p style="text-align: center;">नया नाम (शैलेन्द्र शर्मा) आत्मज—श्री शिव कुमार शर्मा, 6वीं बटालियन एस. ए. एफ. 'सी' समवाय रांझी, जबलपुर (म.प्र.).</p>
--	---

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शासकीय अशासकीय एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम कु. सुखबती एवं सुककोबाई है। यह दोनों नाम मुझ एक ही महिला के हैं। अतः मेरे मूलनिवासी में मेरा नाम अर्चना है जो कि सही है। अतः अब मुझे मेरे सही नाम अर्चना के नाम से जाना पहचाना एवं दर्ज किया जावे।

<p style="text-align: center;">पुराना नाम (सुखबती एवं सुककोबाई)</p> <p style="text-align: center;">(G-2420)</p>	<p style="text-align: center;">नया नाम (अर्चना) पति—विकास सक्सेना, पता—एच. नं. 12, पटेल नगर, मण्डीदीप (म.प्र.).</p>
---	---

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम सुन्दर सिंह पुत्र श्री जितेन्द्र सिंह भूलवश गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरी शैक्षणिक एवं शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम नितिन सिंह पुत्र श्री जितेन्द्र सिंह है जोकि सत्य व सही है भविष्य में मुझे नितिन सिंह पुत्र श्री जितेन्द्र सिंह के नाम से ही जाना—पहचाना, पुकारा एवं लिखा व पढ़ा जावे।

<p style="text-align: center;">(G-2421)</p>	<p style="text-align: center;">प्रेषक , नितिन सिंह, पिता का नाम—श्री जितेन्द्र सिंह, निवासी—ग्राम पारसेन, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).</p>
---	---

नाम परिवर्तन

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रुकसार खान पिता स्व. मो. इरफान खान, निवासी म. नं. 118, बाबा नगर, ई-6, अरेसा कालोनी, भोपाल (म.प्र.) विवाह के बाद मेरा नाम रितिका कनाडे पत्नी श्री किशन कनाडे हो गया है एवं मेरे आधार कार्ड मतदाता परिचय में मेरा नाम रुकसार खान पिता स्व. मो. इरफान खान ही दर्ज है। अब विवाह के बाद मुझे मेरे नए नाम रितिका कनाडे पत्नी श्री किशन कनाडे संशोधित नाम से ही मुझे जाना—पहचाना जाये एवं अभिलेखों में किया जाये।

पुराना नाम

(रुकसार खान)

पिता—स्व. मो. इरफान खान।

(G-2422)

नया नाम

(रितिका कनाडे)

पत्नी—श्री किशन कनाडे।

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रशांत भारती पुत्र श्री रत्निराम भारती, निवासी ग्राम शाह, तहसील जतारा, टीकमगढ़ (म.प्र.) मेरा वर्तमान नाम प्रशांत भारती है और मेरे समर्स्त दस्तावेजों में भी मेरा यही नाम दर्ज है। जिसके स्थान पर मैं भविष्य के लिए अपना नाम प्रशांत गौतम करवाना चाहता हूँ। अतः मुझे प्रशांत गौतम के नाम से ही जाना—पहचाना व लिखा पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(प्रशांत भारती)

(G-2423)

नया नाम

(प्रशांत गौतम)

आत्मज—श्री रत्निराम भारती।

नाम परिवर्तन

मैं, हीरा सभनानी (Heera Sabhnani) पत्नी स्व. श्री भगवानदास सभनानी सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम हीरा सभनानी (Heera Sabhnani) है। जो की सही है। परंतु मेरी फैमिली पेंशन में मेरा घर का अन्य नाम लाजवंती बाई सभनानी (Lajwanti Bai Sabhnani) पत्नी स्व. श्री भगवानदास सभनानी चूकवश अंकित हो गया है। हीरा सभनानी और लाजवंती बाई सभनानी दोनों मेरे ही नाम हैं। इस विज्ञप्ति के बाद मुझे हीरा सभनानी पत्नी स्व. श्री भगवानदास सभनानी के नाम से ही जाना—पहचाना, लिखा, पढ़ा एवं बोला जाए।

पुराना नाम

(लाजवंती बाई सभनानी)

(G-2424)

नया नाम

(हीरा सभनानी)

(Heera Sabhnani)

पत्नी स्व. श्री भगवानदास सभनानी,
बी न्यू-28/306, गिदवानी पार्क के पास
बैरागढ़, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, शीला साध (Sheela Sadh) पत्नी श्री पुरुषोत्तम दास साध सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे सभी/शासकीय/अर्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम शीला साध (Sheela Sadh) पत्नी श्री पुरुषोत्तम दास साध है। जो की सही है। परंतु मेरे शेयर्स में त्रुटि से मेरा नाम शीला अग्रवाल (Sheela Agrawal) अंकित हो गया है। जो की गलत है। इस विज्ञप्ति के बाद मुझे शीला साध (Sheela Sadh) पत्नी श्री पुरुषोत्तम दास साध के नाम से ही जाना—पहचाना, लिखा, पढ़ा एवं पुकारा जाए।

पुराना नाम

(शीला अग्रवाल)

(Sheela Agrawal)

(G-2425)

नया नाम

(शीला साध)

(Sheela Sadh)

पत्नी श्री पुरुषोत्तम दास साध,
वार्ड No. 3, खेरापति वार्ड, झील मोहल्ला,
साईंखेड़ा, नरसिंहपुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम रत्ना मंडल RATNA MANDAL है पुत्री स्व. श्री अधीर मंडल ADHIR MANDAL के नाम से ही जाना—पहचाना एवं पुकारी जाती हूँ सभी शासकीय अशासकीय संपूर्ण दस्तावेज में रत्ना मंडल RATNA MANDAL है. न्यायालय द्वारा तलाक आदेश पारित होने से अतः मेरा नाम रत्ना मंडल पुत्री स्व. श्री अधीर मंडल ADHIR MANDAL के नाम से ही जाना—पहचाना एवं दर्ज किया जावे.

(G-2426)

रत्ना मंडल,
पुत्री स्व. श्री अधीर मंडल
निवासी—1/31, मिनाल, रेसीडेंसी फेस—1,
जे. के. रोड, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रार्थी केकड़िया डावर के नाम से जाना—पहचाना जाता था और मेरे द्वारा उक्त नाम का उपयोग किया जाता था. प्रकाशन उपरांत नवीनतम नाम करन डावर कर रहा हूँ और भविष्य में अब शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में उक्त नाम अंकित कर इसी नाम से जाना—पहचाना जाऊंगा व इसी नाम का उपयोग करुंगा.

(G-2427)

पुराना नाम
(केकड़िया डावर)

नया नाम
(करन डावर)

नाम परिवर्तन

मैं, राजेंद्र साध (Rajendra Sadh) पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास साध सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ की मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय/ अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम राजेंद्र साध (Rajendra Sadh) पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास साध है जो की सही है. परंतु मेरे शेयर्स में त्रुटि से मेरा नाम राजेंद्र अग्रवाल (Rajendra Agrawal) अंकित हो गया है. जो की गलत है. इस विज्ञप्ति के बाद मुझे राजेंद्र साध (Rajendra Sadh) पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास साध के नाम से ही जाना—पहचाना लिखा, पढ़ा एवं पुकारा जाए.

(G-2428)

पुराना नाम
(राजेंद्र अग्रवाल)
(Rajendra Agrawal)

नया नाम
(राजेंद्र साध)
(Rajendra Sadh)
पुत्र—श्री पुरुषोत्तम दास साध,
पता—वार्ड No. 3, खेरापति वार्ड, झील मोहल्ला,
साईंखेड़ा नरसिंहपुर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, मनोज कुमार राय सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री रितिरिशा राय (Ritirisha Rai) के शालेय अभिलेखों में मेरे नाम मनोज राय अंकित हो गया है. जो की गलत है. मेरे समस्त दस्तावेजों जैसे कि मेरे आधारकार्ड, समग्र आई डी इत्यादि में मेरा नाम मनोज कुमार राय है. अतः इस विज्ञप्ति के उपरांत मेरी पुत्री के सभी दस्तावेजों में उसको रितिरिशा राय पुत्री मनोज कुमार राय के नाम से जाना—पहचाना, लिखा व पढ़ा जाए.

(G-2429)

पुराना नाम
(रितिरिशा राय)
पुत्री—मनोज राय.

नया नाम
(रितिरिशा राय)
(RITRISHA RAI)
पुत्री—मनोज कुमार राय,
(MANOJ KUMAR RAI)
पता—BM 122, नेहरू नगर,
नियर पुलिस लाईन, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, दीपक डहरिया (Deepak Daharia) मेरा नाम समस्त दस्तावेजों में दर्ज है. जिसे परिवर्तित कर मैं, अपना नया नाम दीप सिंह (Deep Singh) करना चाहता हूँ. जिसे आज के पश्चात् मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरे पुराना नाम दीपक डहरिया (Deepak Daharia) के स्थान पर मेरा नया नाम दीप सिंह (Deep Singh) लिखा, पढ़ा, जाना एवं समझा जावे.

पुराना नाम
(दीपक डहरिया)
(Deepak Daharia)

नया नाम
(दीप सिंह)
(Deep Singh)

(G-2430)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शुभ डेल्पर्स, पता—73, महादेव तोतला नगर, इंदौर (म.प्र.) फर्म में श्री मेहरबान सिंह पिता श्री बद्रीलालजी चंदेल, निवासी—ग्राम दुधिया, बिचौली मर्दना, इंदौर (म.प्र.) तथा श्री सुरेश पटेल पिता श्री बद्रीलाल चंदेल, निवासी—ग्राम दुधिया, बिचौली मर्दना, इंदौर (म.प्र.) जो कि फर्म में स्वेच्छा से दिनांक 03—09—2021 से सम्मिलित हुए थे. वे दोनों साझीदार अब स्वेच्छा से दिनांक 12—05—2023 से पृथक हो गए हैं.

वास्ते—मेसर्स शुभ डेल्पर्स,
(रतनलाल कुमावत)
(पार्टनर)
पता—73, महादेव तोतला नगर,
इंदौर (म.प्र.).

(G-2431)

नाम परिवर्तन

मैं, सावित्री (Savitri) पत्नी श्री रामबाबू पटेरिया, आयु व्यस्क, निवासी—बेथनी, जिला—सागर. सूचित करती हूँ कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम सावित्री (Savitri) पत्नी श्री रामबाबू पटेरिया अंकित है. जो कि विवाह के पूर्व का नाम है, विवाह के बाद अब मुझे मेरे नये नाम इसके पश्चात् सावित्री पटेरिया (Savitri Pateriya) पत्नी श्री रामबाबू पटेरिया के नाम से जाना—पहचाना दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(सावित्री)
(Savitri)

नया नाम
(सावित्री पटेरिया)
(Savitri Pateriya)

(G-2432)

पत्नी—श्री रामबाबू पटेरिया.

आम सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है, कि फर्म तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स प.ह.नं. 63, खसरा क्रमांक186 / 1, बाघराज वार्ड कनेरादेव, सागर में स्थित है. समस्त भागीदारों द्वारा की सहमति से उक्त फर्म में श्रीमान अजय दुबे पिता श्री प्रताप नारायण दुबे एवं श्रीमान गणेश घोषी पिता श्रीमान राम चरण घोषी एवं श्रीमान निर्भय सिंह घोषी पिता श्री राम चरण घोषी एवं श्रीमान बसंत कुमार घोषी पिता श्रीमान राम चरण घोषी एवं श्रीमान शंकर घोषी पिता श्रीमान राम चरण घोषी अपनी भागीदारी समाप्त कर फर्म से पृथक् हो रहे हैं तथा उनके स्थान पर भागीदार के रूप में श्रीमान नमन सिंह घोषी पिता श्री गोबर्धन घोषी एवं अंकित दुबे पिता श्री अजय दुबे एवं श्रीमान श्रीराम घोषी पिता श्री शंकर घोषी सम्मिलित हो रहे हैं,

इस संबंध में किसी व्यक्ति, फर्म अथवा संस्था को कोई आपत्ति है तो इस आम सूचना के प्रकाशन से 7 दिवस के अंदर नीचे दर्शाये गये पते पर सम्पर्क कर सकते हैं। अवधि समाप्त होने पर आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। सम्पर्क करें तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स प.ह.नं. 63, खसरा क्रमांक 186 / 1, बाघराज वार्ड कनेरादेव, सागर (म.प्र.)।

M/s Tirupati Developers And Colonisers,
(UMESH GHOSHI)
(Partner)

(G-2433)

Address-41, Mandir Ka Rasta, Gram Kanera Deo,
Ambedkar Ward, Sagar (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम ज्योति बडजात्या (JYOTI BARJATIYA) पुत्री श्री धरमचन्द बडजात्या था, जो कि मेरी शैक्षणिक प्रमाण—पत्र पर अंकित है, श्री प्रमोद कासलीवाल से विवाह के उपरान्त मेरा नाम ज्योति कासलीवाल (JYOTI KASLIWAL) पति श्री प्रमोद कासलीवाल हो गया है, जो मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड पर अंकित है, अतः भविष्य में मुझे ज्योति कासलीवाल पति श्री प्रमोद कासलीवाल के नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम
(ज्योति बडजात्या)
(JYOTI BARJATIYA)

नया नाम
(ज्योति कासलीवाल)
(JYOTI KASLIWAL)
पति—श्री प्रमोद कासलीवाल,
पता—23, शिवाजी नगर, बडनगर,
जिला उज्जैन (म.प्र.).

(G-2434)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक व सही नाम कुंदन चौहान (KUNDAN CHOUHAN) पिता पुनमचंद्र चौहान है। जो कि सही व सत्य है। जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, पेन कार्ड एवं वोटर कार्ड पर भी दर्ज है। किन्तु मेरे आधार कार्ड पर त्रुटिवश मेरा नाम कुंदन (KUNDAN) दर्ज हो गया है। अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कुंदन चौहान (KUNDAN CHOUHAN) पिता पुनमचंद्र चौहान के नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम
(कुंदन)
(KUNDAN)

नया नाम
(कुंदन चौहान)
(KUNDAN CHOUHAN)
पिता—पुनमचंद्र चौहान,
पता—114, खासगी का बगीचा,
वृदांवन कॉलोन, इन्दौर (म.प्र.).

(G-2435)

CHANGE OF NAME

It is informed to the general public that name of Master Atharva Chaurasiya S/o Mr. Shitanshu Chaurasiya and Mrs. Akanksha Chaurasiya is changed to Master Ojas Chaurasiya. Henceforth, he will be called by this new name.

(Shitanshu Chaurasiya and Akanksha Chaurasiya)

(G-2436)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा ममता भारती (MAMTA BHARTI) पिता KRISHAN PATLE था, जो कि मेरे प्रमाण पत्रों पर अंकित हो गया है, जिसको मैंने परिवर्तित कर रिद्धी टेंभरे (RIDDHI TEMBHRE) पति श्री ऋत्विक टेंभरे कर लिया है, अतः भविष्य में मुझे रिद्धी टेंभरे (RIDDHI TEMBHRE) पति श्री ऋत्विक टेंभरे के नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे.

<p>पुराना नाम (ममता भारती)</p>	<p>नया नाम (रिद्धी टेंभरे) पति—श्री ऋत्विक टेंभरे, पता—167—बी, पुष्परत्न पार्क कॉलोनी, बावडी मंदिर के पास, देवगुराडिया मेन रोड, इन्दौर (म.प्र.).</p>
------------------------------------	---

(G-2437)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ओम ग्रेनाइट, पता—01, दिदवारा तहसील लवकुशनगर, ज़िला छतरपुर, मध्यप्रदेश 471515, जिसका पंजीयन क्रमांक 06 / 12 / 04 / 0078 / 17, दिनांक 24—09—2017 से भागीदारी फर्म है। उक्त फर्म में पंजीयन के समय श्री देवेन्द्र शिवहरे, श्रीमती नेहा शिवहरे, श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, श्रीमती राज अग्रवाल, श्री सूरज प्रसाद गुप्ता, श्रीमती उर्मिला गुप्ता, श्री विपुल कुमार अग्रवाल, श्री संजय जोशी भागीदार थे। उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 21—12—2022 को श्री संजय जोशी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गये। उक्त दिनांक 21—12—2022 को श्री उपेन्द्र कुमार गुप्ता फर्म के भागीदारी में समिलित किया गया। वर्तमान में फर्म में श्री देवेन्द्र शिवहरे, श्रीमती नेहा शिवहरे, श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, श्रीमती राज अग्रवाल, श्री सूरज प्रसाद गुप्ता, श्रीमती उर्मिला गुप्ता, श्री विपुल कुमार अग्रवाल व श्री उपेन्द्र कुमार गुप्ता भागीदार हैं। फर्म के भागीदारों के मध्य कोई भी लेनदारी शेष नहीं है।

<p>(G-2438)</p>	<p>मेसर्स ओम ग्रेनाइट, (देवेन्द्र शिवहरे) (भागीदार) पता—01, दिदवारा तहसील लवकुशनगर, ज़िला छतरपुर, (म.प्र.).</p>
-----------------	---

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स ARK CHEMICALS 10 B AKVN GROWTH CENTRE, SIDGUAN SAGAR मध्यप्रदेश पंजीयन क्रमांक 06 / 09 / 01 / 0032 / 19, सन् 2019—2020 दिनांक 26—06—2019 पर पंजीकृत है। उक्त फर्म में पंजीयन के समय MR. ABHILASH JAIN, MR., MR. RAJESH JAIN & MR. PRAMOD JAIN भागीदार थे। उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 25—08—2023 को MR-RAJESH JAIN & MR. PRAMOD JAIN स्वेच्छा से फर्म के भागीदारी से पृथक् हो गये। उक्त दिनांक 25—08—2023 को MR. ANIL JAIN को फर्म के भागीदारी में समिलित किया गया। वर्तमान में फर्म में MR. ABHILASH JAIN & MR. ANIL JAIN भागीदार हैं। फर्म के भागीदारों के मध्य कोई भी लेनदारी व देनेदारी शेष नहीं है। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है।

<p>(G-2439)</p>	<p>फर्म मेसर्स ARK CHEMICALS, (ABHILASH JAIN) (भागीदार) पता—10 BAKVN GROWTH CENTRE, SIDGUAN , SAGAR (म.प्र.).</p>
-----------------	---

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मेसर्स क्यूप्रम इंडस्ट्रीज पार्टनरशिप फर्म जो प्लाट नं. 18-ए और 19-ए, सेक्टर-डी, इन्डस्ट्रियल एरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल. जिसका रजिस्ट्रर में क्रमांक 01/01/01/00118/11 वर्ष 2011-12 फर्म एंड सोसायटी कार्यालय में अंकित है। उक्त पार्टनरशिप संशोधित पार्टनरशिप डीड 01/04/21 के आधार पर 1. श्रीमति उमा महेश संपत, 2. श्री हर्ष महेश संपत, 3. श्री चिराग संपत, 4. श्रीमति ईशा चिराग संपत रहवासी ई-1/102, अरेरा कालोनी, भोपाल सहित दिनांक 29-06-2023 तक कार्यरत रही। उक्त भागीदारी में से श्रीमति उमा महेश संपत पत्नि श्री महेश संपत की दिनांक 29-06-2023 को मृत्यु हो गई तथा वर्तमान में दिनांक 30-06-2023 को संशोधित पार्टनरशिप डीड के आधार पर शेष भागीदारों 1. श्री हर्ष महेश संपत, आयु 47 वर्ष, 2. श्री चिराग संपत, आयु 43 वर्ष, 3. श्रीमति ईशा चिराग संपत, आयु 43 वर्ष इकाई (मेसर्स क्यूप्रम इंडस्ट्रीज) के भागीदार रहेंगे।

मेसर्स क्यूप्रम इंडस्ट्रीज,
(चिराग संपत)
(पार्टनर)

(G-2440)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरा नाम प्राची बंसल (PRACHI BANSAL) पति श्री विक्रम बंसल था, जो कि मेरे समस्त शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, मैंने अपना नाम परिवर्तित कर प्राची वी. बंसल (PRAACHI V BANSAL) पति श्री विक्रम बंसल कर लिया है, अतः भविष्य में मुझे प्राची वी बंसल (PRAACHI V BANSAL) पति श्री विक्रम बंसल के नाम से जाना, पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम
(प्राची बंसल)
(PRACHI BANSAL)

नया नाम
(प्राची वी बंसल)
(PRAACHI V BANSAL)
पति—श्री विक्रम बंसल,
पता—103, ए ब्लॉक, द रेसिडेन्सी
बिचौली, मर्दाना, इन्दौर (म.प्र.)

(G-2441)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम नेहा चौहान से बदलकर नया नाम प्रिया चौहान रख लिया है। भविष्य में मुझे सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम प्रिया चौहान D/o श्री श्याम सिंह चौहान से जाना एवं पहचाना एवं उपयोग किया जावे।

पुराना नाम
(नेहा चौहान)

नया नाम
(प्रिया चौहान)
D/o श्री श्याम सिंह चौहान,
पता—निम्बालकर की गोठ नं. 2, त्रिवेणी
हनुमान मंदिर के पास कम्पू
र्खालियर (म.प्र.).

(G-2442)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, वर्तमान में मेरा नाम चंद्रकांत यादव (ChandraKant Yadav) पुत्र—संतोष यादव है जिसे मैंने बदलकर अरनव यादव (Arnav Yadav) कर लिया हूँ। अतः भविष्य में मुझे मेरे नये नाम अरनव यादव (Arnav Yadav) पुत्र संतोष यादव (Santosh Yadav) के नाम से सभी शासकीय, अशासकीय, बीमा पॉलिसी एवम् अन्य सभी दस्तावेजों में लिखा और पढ़ा जाए।

पुराना नाम (चंद्रकांत यादव) (CHANDRAKANT YADAV)	नया नाम (अरनव यादव) (ARNAV YADAV)
(G-2443)	पुत्र—संतोष यादव, निवासी—ग्राम समोन, माखन नगर, नर्मदापुरम (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, विवाह पूर्व मेरा नाम मधु बडजात्या (MADHU BARJATIYA) पुत्री श्री धरमचन्द बडजात्या था, जो कि मेरी शैक्षणिक रिकार्ड पर अंकित है, श्री अनिल सराफ से विवाह के उपरान्त मेरा नाम मधु सराफ (MADHU SARAF) पति श्री अनिल सराफ हो गया है, जो मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड पर अंकित है, अतः भविष्य में मुझे मधु सराफ पति श्री अनिल सराफ के नाम से जाना—पहचाना व सम्बोधित किया जावे।

पुराना नाम (मधु बडजात्या) (MADHU BARJATIYA)	नया नाम (मधु सराफ) (MADHU SARAF)
(G-2444)	पति—श्री अनिल सराफ, पता—178, सेक्टर 2, सुखदेव नगर इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, संजय पहाड़िया पिता श्री विमलचंद पहाड़िया जैन सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ, मुझे संजय पहाड़िया व संजय पहाड़िया जैन दोनों नामों से जाना जाता है। दोनों नाम मुझ से ही सम्बंधित हैं। आज से मुझे संजय पहाड़िया जैन के नाम से जाना—पहचाना जाये तथा भविष्य में भी इसी नाम (संजय पहाड़िया जैन) से जाना—पहचाना एवं पुकारा जावे।

पुराना नाम (संजय पहाड़िया)	नया नाम (संजय पहाड़िया जैन)
(G-2445)	निवासी—5, 6—डी नेमी नगर, जैन कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.).

PUBLIC NOTICE

(Pursuant to the Section 63 and 72 of the Indian Partnership ACT, 1932)

Notice is hereby given to the general public that M/s Shivom Associates, Registration No. 03/27/01/0111/23, Registration Date 29-05-2023 having registered office at 214, Sanjana Park, Bicholi Mardana, Indore-452016 M.P is a Registered Partnership Firm under Registrar of Firm and Society, M.P., Indore and Mrs. Bindiya Nagar has retired from her position as a partner at Shivom Associates, with effect from 27th April 2023.

As per supplementary partnership deed of M/s Shivom Associates, Dated 27-04-2023 Mrs. Bindya Nagar has retire from her position as a partner at Shivom Associates, As per supplementary partnership deed the Constitution of the firm M/s Shivom Associates as follows:-

- | | | |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1. Mr. Kumud Narayan Nagar, | 2. Mrs. Rajshree Nagar, | 3. Mr. Rajesh Tharad, |
| 4. Mrs. Rajeshwari Tharad, | 5. Mr. Vinay Nagar, | 6. Mrs. Saroj Gathe, |
| 7. Mrs. Rukmani Nagar, | 8. Mr. Bhupendra Nagar, | 9. Mrs. Kirti Bhoraskar, |

For and behalf of Shivom Associates.

M/s Shivom Associates,
Mr. Kumud Narayan Nagar,
 (Partner)

(G-2446)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, हमारी फर्म M/s LEOSON REMEDIES, रजिस्टर्ड पता— 123, रामेश्वर निलय, नेपियर टाउन जबलपुर म.प्र. 482001 है. जिसका पंजीयन क्रमांक 04/14/01/0267/20 एवं पंजीयन तिथि 02-03-2020 है. इस फर्म को पार्टनर क्रमांक—1. श्री सचिन सिंह, पार्टनर क्रमांक—2 श्री मनोज तिवारी, पार्टनर क्रमांक—3 श्री नितिन अधरुज एवं पार्टनर क्रमांक—4 श्री देवेन्द्र गौर द्वारा स्थापित किया गया था. जो कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एवं सोसाईटी जबलपुर म.प्र. में पंजीकृत हैं इस फर्म में निम्न परिवर्तन हुए हैं. जो कि सूचनार्थ है—परिवर्तन क्रमांक—1 दिनांक 09-10-2021 को पार्टनर श्री मनोज तिवारी अपनी स्वेच्छा से फर्म से निवृत हो चुके हैं, परिवर्तन क्रमांक—2 दिनांक 12-04-2022 को पार्टनर श्री देवेन्द्र गौर अपनी स्वेच्छा से फर्म से निवृत हो चुके हैं, एवं परिवर्तन क्रमांक—3 दिनांक 14-02-2023 को श्री प्रवीण कुमार दुबे, नए पार्टनर के रूप में इस फर्म में समिलित हो चुके हैं. इस फर्म में वर्तमान पार्टनर निमानुसार है. पार्टनर क्रमांक—1 श्री सचिन सिंह, पार्टनर क्रमांक—2 श्री नितिन अधरुज एवं पार्टनर क्रमांक—3 श्री प्रवीण कुमार दुबे हैं.

M/s LEOSON REMEDIES,
 (सचिन सिंह, नितिन अधरुज, प्रवीण कुमार दुबे)
 (भागीदार).

(G-2447)

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स जिओ लिंक, सर्व पता 45, अलार्क आर्कड, एयरपोर्ट रोड, भोपाल पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00231/14, दिनांक 23-08-2014 है. फर्म के भागीदार श्री मोहम्मद मुर्तज़ा पुत्र श्री इस्माइल खान निवासी—24, हैमिल्टन कोर्ट, एयरपोर्ट रोड, लालघाटी, भोपाल की मृत्यु दिनांक 05-09-2023 को हो गई है. दिनांक 21-11-2023 को श्री फहर मुर्तज़ा पुत्र स्वर्गीय श्री मोहम्मद मुर्तज़ा, निवासी—24 हैमिल्टन कोर्ट, एयरपोर्ट रोड, लालघाटी, भोपाल को भागीदारी फर्म में समिलित किया गया.

मेसर्स जिओलिंक सर्व
 (लुबना रशीद)
 (भागीदार)
 पता—24, हैमिल्टन कोर्ट, एयरपोर्ट रोड,
 लालघाटी, भोपाल (म.प्र.).

(G-2448)

नाम परिवर्तन

मेरा नाम शादी के बाद आशा कुमारी डिया उर्फ आशा डिया पिता शालिगराम डिया से कल्याणी मेघवाल पति पुरुषोत्तम मेघवाल में बदला गया है। मुझे उसके बाद कानूनी रूप से कल्याणी मेघवाल पति पुरुषोत्तम मेघवाल नाम से जाना जाएगा।

पुराना नाम (आशा कुमारी डिया उर्फ आशा डिया)	नया नाम (कल्याणी मेघवाल) पता—271, रोहित नगर, फेस-2, बावडियाकलां, भोपाल।
(G-2449)	

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि हमारी फर्म मेसर्स जय इन्फ्रा, इडब्ल्यू-77, स्कीम नं. 94, रिंग रोड, इन्दौर, जिला—इन्दौर म.प्र. पंजीयन क्रमांक 03/27/01/ 0355/22, सन् 2021–2022, दिनांक 24 जनवरी, 2022 से फर्म के रजिस्टर, इन्दौर संभाग इन्दौर में पंजीकृत है। पूर्व में आठ भागीदार 1. श्री आशीष जैन पिता श्री महेन्द्र जैन, 2. श्रीमती सोनल जैन पति श्री आशीष जैन, 3. श्रीमती कविता जैन पति श्री अकाश जैन, 4. श्री संजय मित्तल पिता श्री पी. के. मित्तल, 5. श्रीमती संगीता मित्तल पति श्री संजय मित्तल, 6. श्री संजय गुप्ता पिता श्री एन. पी. गुप्ता, 7. श्री निर्मल नरेड़ी पिता श्री धन्नालाल नरेड़ी, 8. श्रीमती अनिता नरेड़ी पति श्री निर्मल नरेड़ी कार्य संचालित कर रहे थे। जिनमें से श्रीमती सोनल जैन पति श्री आशीष जैन, श्रीमती कविता जैन पति श्री अकाश जैन, श्रीमती संगीता मित्तल पति श्री संजय मित्तल, श्रीमती अनिता नरेड़ी पति श्री निर्मल नरेड़ी दिनांक 01–09–2023 की स्वयं की इच्छा से भागीदार फर्म से निवृत्त हो रहे हैं। इसलिए उन्हें दिनांक 01–09–2023 से इस फर्म की भागीदारी से निवृत्त माना जाये।

(G-2450)

फर्म मेसर्स जय इन्फ्रा,
(निर्मल नरेड़ी)
(भागीदार)।

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती पुष्पा पटेल पति श्री उमेश सिंह पटेल, निवासी वार्ड नंबर 3, शिव नगर वार्ड, दुर्गा कॉलोनी, छपारा, जिला सिवनी मध्यप्रदेश। मेरा खाता स्टेट बैंक महानदा, जबलपुर पुष्पलता पटेल शादी के पूर्व का नाम संचालित है। यह कि मेरे सभी दस्तावेजों शासकीय, अशासकीय में श्रीमती पुष्पा पटेल सही नाम दर्ज है। मुझे अब श्रीमती पुष्पा पटेल पति उमेश सिंह पटेल के नाम से जाना—पहचाना जाता है। पुष्पा पटेल एवं पुष्पलता पटेल दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। भविष्य में मुझे पुष्पा पटेल के नाम से पहचाना जायें।

(G-2451)

पुराना नाम (पुष्पलता पटेल)	नया नाम (पुष्पा पटेल)
-------------------------------	--------------------------

नाम परिवर्तन

मैं, चंदा पटेल (Chanda Patel) पत्नी स्व. श्री देवकी नंदन पटेल, निवासी—म. नं. 037/2, ग्राम बिजोरा, तहसील—देवरी, जिला—सागर (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम चंदा बाई पटेल (Chanda Bai Patel) दर्ज हो गया है। जो कि गलत है। उपरोक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के ही हैं। अतः मुझे मेरे सभी दस्तावेजों में मेरे मूल नाम चंदा पटेल (Chanda Patel) के नाम से जाना—पहचाना दर्ज किया जावे।

(G-2452)

पुराना नाम (चंदा बाई पटेल) (CHANDA BAI PATEL)	नया नाम (चंदा पटेल) (CHANDA PATEL)
पति—स्व. श्री देवकी नंदन पटेल।	

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं रवि भट्ट (Ravi Bhatt) आत्मज श्री पूरन चंद, आयु वयस्क, निवासी—म. नं. 32, गोडीपुरा, तह. हुजूर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश. मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम रविन्द्र (Ravindra) अंकित है एवं मेरे वोटर कार्ड में मेरा सही नाम रवि भट्ट (Ravi Bhatt) है. जो कि सही व सत्य है, मैं इसी नाम से जाना—पहचाना जाता हूँ. प्रकाशन उपरांत मुझे अपने नया नाम रवि भट्ट (Ravi Bhatt) आत्मज श्री पूरन चंद के नाम से ही जाना—पहचाना एवं पुकारा जाए और भविष्य में भी मैं इसी नाम से जाना—पहचाना एवं पुकारा जाऊंगा.

पुराना नाम

(रविन्द्र)

(Ravindra)

(G-2453)

नया नाम

(रवि भट्ट)

(Ravi Bhatt)

पुत्र—श्री पूरन चंद.

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निवेदन है कि मेरसर्स—महाराजा ग्रुप एण्ड कं. फर्म रजिस्ट्रेशन नं. 05/22/03/00033/07, दिनांक 28-07-2007, पता—पंचशील कुटीर ताला हाउस कैंपस रीवा, जिला रीवा (म.प्र.) है. फर्म की रचना में परिवर्तन करते हुए फर्म के पार्टनर श्री देवेन्द्र सिंह दिनांक 04-10-2023 से अपनी स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गये हैं. जिनका आज दिनांक से फर्म की किसी भी गतिविधि से कोई लेना—देना नहीं होगा एवं फर्म के नये भागीदार के रूप में श्री देवब्रत सिंह दिनांक 04-10-2023 से फर्म में शामिल हो गये हैं. शेष भागीदार यथावत् है. अतः जिस किसी को भागीदारी विलेख के संबंध में आपत्ति हो तो वह प्रकाशन दिनांक के सात दिवस के अन्दर आपत्ति दर्ज करें.

मेरसर्स—महाराजा ग्रुप एण्ड कम्पनी,

(आनंद सिंह)

(पार्टनर)

रीवा, जिला रीवा (म.प्र.).

(G-2454)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम गंगा देवी गर्ग (GANGA DEVI GARG) पति स्व. श्री उदयभान (यू. बी.) गर्ग था. जिसको मैंने परिवर्तित कर लक्ष्मी गर्ग (LAKSHAMI GARG) पति स्व. श्री उदयभान गर्ग कर लिया है, जो मेरे आधार कार्ड पर अंकित है. अतः भविष्य में मुझे लक्ष्मी गर्ग (LAKSHAMI GARG) पति स्व. श्री उदयभान गर्ग के नाम से जाना—पहचाना व संबोधित किया जावे.

पुराना नाम

(गंगा देवी गर्ग)

(GANGA DEVI GARG)

(G-2455)

नया नाम

(लक्ष्मी गर्ग)

(LAKSHAMI GARG)

पति—स्व. श्री उदयभान गर्ग

निवासी—एम्बी—31, वीणा नगर,

सुखलिया, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम सोना पति दिनेश है. मेरे पुत्रों की अंकसूची में मेरा नाम त्रुटिवश अनुराधा टांक लिखा हुआ है. किन्तु मेरा सही एवं वार्तविक नाम सोना ही है और मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जावे एवं इसी नाम का उपयोग किया जावे. मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों आदि में भी मेरा सही नाम सोना ही है.

पुराना नाम

(अनुराधा टांक)

(G-2456)

नया नाम

(सोना)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ऑफ ट्रस्ट तराना, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
तराना, दिनांक 10 नवम्बर, 2023

[मध्यप्रदेश जन न्यास अधिनियम की धारा 5(1) एवं 5(2) के अंतर्गत]

क्र./रजि.प.ट्रस्ट/2023/2.—आवेदक मोहनलाल सोनी मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी माकडोन द्वारा आवेदन—पत्र मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत प्रस्तुत कर गायत्री परिवार ट्रस्ट माकडोन को मध्यप्रदेश लोक न्यास में पंजीकरण करने हेतु प्रस्तुत किया है।

अतः, उक्त न्यास से संबंधित कोई व्यक्ति जो न्यास अथवा अनुसूचित में वर्णित चल/अचल सम्पत्ति में हित या रुची रखता हो तो आपत्ति अथवा सुझाव इस न्यायालय में विज्ञप्ति प्रकाशन तिथि से एक माह के अंदर अथवा प्रकरण में नियत दिनांक 12—12—2023 तक स्वयं अथवा अपने अभिभाषक या मुख्यार्थी आम के माध्यम से मेरे समक्ष उपरिथित होकर प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जावेगा:—

- | | |
|----------------------|--|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : गायत्री परिवार ट्रस्ट माकडोन. |
| 2. वर्तमान पता | : गायत्री प्रजापीठ माकडोन, जिला उज्जैन. |
| 3. सम्पत्ति का विवरण | : ट्रस्ट न्यास की चल/अचल सम्पत्ति का विवरण निम्नानुसार है:—
1. चल सम्पत्ति—1000.00 एक हजार रुपये नगदी.
अचल सम्पत्ति—निरंक. |

(G-2457)

राजेश बोरासी, अनुविभागीय अधिकारी

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश
उज्जैन, दिनांक 27 सितम्बर 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अंतर्गत]

क्र.—परि.—2023—क्यू.—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 2687, दिनांक 12—09—2023 एवं आदेश क्रमांक 2688, दिनांक 12—09—2023 से मुझे निम्नलिखित संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री राम प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., नागदा, जिला उज्जैन.	1039 / 13—03—1992	2687 / 12—09—2023
2.	शारदा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., नागदा, जिला उज्जैन.	1627 / 05—02—2004	2688 / 12—09—2023

अतः, मैं, एस. एल. चौहान, सहकारी निरीक्षक, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना—देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रेकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रेकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 27-09-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

(G-2458)

एस. एल. चौहान, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला बैतूल
बैतूल, दिनांक 05 दिसम्बर 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2023-1273.—कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 की धारा 69 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत आदेश कमांक/परिसमापन/2023/171 एवं 172, दिनांक 29-3-2023 के द्वारा मुझे निम्नानुसार संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जय महालक्ष्मी बांस उद्योग स.स. मर्या., भैसदेही	1041, दिनांक 06-08-1983	भैसदेही
2.	ताप्ती पर्यटन सह. समिति मर्या., भैसदेही	1857, दिनांक 26-12-2016	भैसदेही
3.	पाटीदार फर्नीचर उद्योग स. स. मर्या., भग्गूढाना बैतूल	1524, दिनांक 27-12-2005	बैतूल
4.	प्रजापति उद्योग सह. समिति मर्या., हमलापुर	442, दिनांक 29-3-1978	बैतूल
5.	आदिवासी साख सह. समिति मर्या., बैतूल	1805, दिनांक 25-03-2015	बैतूल
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गजपुर	1772, दिनांक 16-9-2014	बैतूल
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहटाढाना	1742, दिनांक 15-5-2014	बैतूल
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोंदरा	1780, दिनांक 15-10-2014.	बैतूल
9.	जय बजरंग फोटोकापी एवं स्टेश. क्रय-विक्रय स. स. मर्या., बैतूल.	1763, दिनांक 14-07-2017	बैतूल
10.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोनोरा	1476, दिनांक 05-09-2003	मुलताई

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70(1) को उपयोग में लाते हुए, मैं, सी. एल. डॉगरे, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी/ग) के अंतर्गत, यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हो तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. निर्धारित समयावधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा. जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे. संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 60 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवें अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे।

(G-2459)

सी. एल. डॉगरे, परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश

बैतूल, दिनांक 05 दिसम्बर 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र.-परि.-2023-1274.—कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1962 की धारा 69 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (1) के अन्तर्गत आदेश क्रमांक/परिसमापन/2023/174, दिनांक 29-3-2023 के द्वारा मुझे निम्नानुसार संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ताप्ती उलन बुनकर सहकारी समिति मर्या., जोलखेड़ा	546, दिनांक 15-11-1995	मुलताई
2.	दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहरखेड़ा	1384, दिनांक 03-03-1998	मुलताई

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70(1) को उपयोग में लाते हुए, मैं, एस. के. बर्थे, परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, बैतूल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57(सी/ग) के अंतर्गत यह सूचित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं से किसी दावेदार या सदस्यों की कोई लेनदारी हो या दावा प्रस्तुत करना हों तो इस सूचना के जारी होने के दो माह के अन्दर मय दस्तावेजों/प्रमाणकों के कार्यालयीन समय में मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि की समाप्ति के पश्चात् दावों (क्लेम) पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। जिसके लिए संबंधित सदस्य/दावेदार ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। संस्था के कोई भी अभिलेख या सम्पत्ति किसी भी व्यक्ति के पास उपलब्ध हो तो वह भी 60 दिवस के भीतर मेरे कार्यालय में जमा कर देवे अन्यथा ऐसे व्यक्ति वैधानिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होंगे।

(G-2460)

एस. के. बर्थे, परिसमापक.

कार्यालय, परिसमापक एवं उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

नर्मदापुरम, दिनांक 31 अक्टूबर, 2023

क्र.-परि.-2023-क्यू.—कार्यालय, संयुक्त, आयुक्त, सहकारिता, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2022/77, होशंगाबाद, दिनांक 14-01-2022 एवं आदेश क्रमांक/परिसमापन/2022/75, दिनांक 14-01-2022 के द्वारा निम्नलिखित सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है :—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन संशोधित आदेश
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	जिला उन्नत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद.	2070 / 09-10-1974	77 / 14-01-2022
2.	मॉ नर्मदा म.प्र. राज्य परिवहन कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद.	3271 / 29-10-2016	77 / 14-01-2022
3.	पुलिस कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद.	2673 / 22-09-1998	77 / 14-01-2022
4.	ग्राम सुधार सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद	1092 / 24-05-1944	77 / 14-01-2022
5.	मॉ नर्मदा प्रा. उप. भण्डार, होशंगाबाद	2683 / 30-09-1998	77 / 14-01-2022
6.	सुशीला देवी मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद.	2913 / 28-02-2007	77 / 14-01-2022

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	श्री साई मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद	2916 / 01-03-2007	77 / 14-01-2022
8.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रैसलपुर	2139 / 06-10-1992	77 / 14-01-2022
9.	शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद.	0028 / 26-05-1967	77 / 14-01-2022
10.	रामेश्वर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद	2717 / 30-07-2000	77 / 14-01-2022
11.	प्रगति गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., इटारसी	2645 / 19-01-1998	77 / 14-01-2022
12.	बालाजी ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., इटारसी	3075 / 17-05-2012	77 / 14-01-2022
13.	मॉ नर्मदा प्रा. उप. भण्डार मर्या., होशंगाबाद	2513 / 29-07-2014	77 / 14-01-2022
14.	विध्यांचल साख सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद	3301 / 29-10-2016	77 / 14-01-2022
15.	शिव शक्ति साख सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद	3335 / 29-10-2016	77 / 14-01-2022
16.	मॉ भवानी सहकारी साख समिति मर्या., जावली	3311 / 29-10-2016	75 / 14-01-2022
17.	जय कालिका साख सहकारी समिति मर्या., बज्जरवाडा	3332 / 29-10-2016	75 / 14-01-2022
18.	प्रगति साख सहकारी समिति मर्या., खामदा	3312 / 29-10-2016	75 / 14-01-2022
19.	मॉ नर्मदा प्रा. सहकारी उप भण्डार मर्या., बाबई	2865 / 25-07-2005	75 / 14-01-2022
20.	मॉ नर्मदा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., चौराहट	2885 / 25-04-2006	75 / 14-01-2022
21.	दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बुधनी	2882 / 23-12-2005	75 / 14-01-2022
22.	दुर्घ उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहासा	2745 / 08-01-2002	75 / 14-01-2022
23.	बालाजी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बाबई	3046 / 25-02-2010	75 / 14-01-2022

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1962 के नियम, 57(ग) के अंतर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को सूचना के प्रकाशन दिनांक से 02 माह के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। त्रुटि की दशा में साहूकारण किसी भी लाभ के बंतवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे। यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये समझे जायेंगे। यह सूचना—पत्र आज दिनांक 31-10-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-2461)

कंचन बाला सोनी, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 6 अक्टूबर, 2023

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अंतर्गत]

दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रसूलपुरा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन कमांक 1518, दिनांक 26-10-2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र कमांक /परिसमापन /2023 /1161 /सीहोर, दिनांक 17-08-2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना—पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रति उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप—रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रसूलपुरा, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री एस. के. सक्सेना, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 06—10—2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-2462)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आंवलीखेड़ा, तहसील व जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1753, दिनांक 24—02—2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना—पत्र क्रमांक/परिसमापन/2023/1160/सीहोर, दिनांक 17—08—2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना—पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रति उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप—रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आंवलीखेड़ा, तहसील व जिला सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. एस. रैकवाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 06—10—2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-2463)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, झाली, तहसील भैरुंदा, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1852, दिनांक 03—01—2017 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना—पत्र क्रमांक/परिसमापन/2023/1159/सीहोर, दिनांक 17—08—2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना—पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रति उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप—रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, झाली, तहसील भैरुलंदा, जिला सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा—70 (1) के अन्तर्गत श्री विनोद जैन, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 06—10—2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-2464)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अंतर्गत]

दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, माथनी, तहसील रेहटी, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1249, दिनांक 27—01—2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/परिसमापन/2023/1158/सीहोर, दिनांक 17—08—2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना—पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रति उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप—रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, माथनी, तहसील रेहटी, जिला सीहोर, को परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री उमेश मिश्रा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 06—10—2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-2465)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अंतर्गत]

दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आमलामज्जू, तहसील आष्टा, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 774, दिनांक 18—02—1980 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/परिसमापन/2023/1157/सीहोर, दिनांक 17—08—2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना—पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रति उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आमलामज्जू, तहसील आष्टा, जिला सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री विनय शर्मा, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 06-10-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-2466)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खामखेड़ा बैजनाथ, तहसील आष्टा, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1206, दिनांक 30-11-2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक /परिसमापन/ 2023/ 1155/ सीहोर, दिनांक 17-08-2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रति उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, खामखेड़ा बैजनाथ, तहसील आष्टा, जिला सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. के. आर्य, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 06-10-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-2467)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुखलिया हंसराज, तहसील इछावर, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1839, दिनांक 28-04-2016 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत् कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक /परिसमापन/ 2023/ 1246/ सीहोर, दिनांक 08-09-2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रति उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुखलिया हंसराज, तहसील इछावर, जिला सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. रैकवाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 06-10-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-2468)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तिनोनिया, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1159, दिनांक 06-10-2000 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक /परिसमापन /2023 /1245 /सीहोर, दिनांक 08-09-2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रति उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, तिनोनिया, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री जतिन गाचले, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 06-10-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-2469)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सालीखेड़ा, तहसील इछावर, जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1780, दिनांक 14-07-2014 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक /परिसमापन /2023 /1162 /सीहोर, दिनांक 17-08-2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रति उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप—रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सालीखेड़ा, तहसील इछावर, जिला सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. सी. रैकवाल, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 06—10—2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-2470)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 के अंतर्गत]

प्राथमिक वानिकी सहकारी समिति मर्यादित, लालाखेड़ी, तहसील व जिला सीहोर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1859, तथा दिनांक 23—03—2017 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक /परिसमापन /2023 /1243 /सीहोर, दिनांक 08—09—2023 जारी कर संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु सोसायटी को अपना पक्ष समर्थन करने हेतु तीन सप्ताह का अवसर प्रदान किया गया था। संस्था द्वारा कारण बताओ सूचना—पत्र के संबंध में आज दिनांक तक कोई प्रति उत्तर कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः सोसायटी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए सोसायटी का परिसमापन किया जाकर उक्त संस्था में परिसमापक नियुक्त किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—5—1—99—पन्द्रह—1—सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा उप—रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, सीहोर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 एवं 70 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर प्राथमिक वानिकी सहकारी समिति मर्यादित, लालाखेड़ी, तहसील व जिला सीहोर को परिसमापन में लाया जाकर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. के. आर्य, उप अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

परिसमापक, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सोसायटी के आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण कर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 06—10—2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-2471)

कारण बताओ सूचना पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) (क) के अनुसार रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा जहाँ उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रांगम नहीं किया हो अथवा जहाँ उस सोसाइटी ने कार्य करना बंद कर दिया हो।

दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मगरदीकलौं, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1776 तथा दिनांक 07—05—2014 है। संस्था प्रशासक द्वारा प्रस्तुत पत्र से इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा कार्यालयीन आदेश के परिपालन में संस्था सचिव से व्यक्तिगत रूप से संस्था का निर्वाचन कराने हेतु संपर्क किया गया जिसमें संस्था सचिव द्वारा लिखित में दिया गया है कि संस्था विगत दो वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है तथा संस्था सदस्यों द्वारा भी संस्था के

कार्य में रुचि नहीं ले रही है ऐसी स्थिति में संस्था के निर्वाचन कराये जाना संभव नहीं है। अतः इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मगरदीकलाँ, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर ने कार्य करना बंद कर दिया है तथा संस्था का निर्वाचन न करकर प्रबंध की शर्तों का अनुपालन करना बंद कर दिया। अतः इस सहकारी समिति में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69-2 (क) एवं धारा 69-2 (ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है। इस कारण इस सहकारी समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, सुधीर कैथवास, सहायक रजिस्ट्रार एवं प्रभारी उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (3) के तहत दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मगरदीकलाँ, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1776 तथा दिनांक 07-05-2014 को परिसमापन में लाये जाने संबंधी प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मगरदीकलाँ, तहसील श्यामपुर, जिला सीहोर का पंजीयन क्र. 1776 तथा दिनांक 07-05-2014 को 3 सप्ताह का समय प्रदान करता हूँ। यह सहकारी संस्था 3 सप्ताह में इस कारण बताओ सूचना पत्र का सप्रमाण उत्तर प्रस्तुत करें।

निर्धारित समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में अथवा प्राप्त उत्तर संतोषजनक न पाये जाने की स्थिति में परिसमापन की प्रस्तावित कार्यवाही की जायेगी।

यह कारण बताओ सूचना-पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 27-09-2023 को जारी किया गया।

(G-2472)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

इस कार्यालय का आदेश कमांक / परिसमापन / 2016 / 403, सीहोर, दिनांक 22-04-2016 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नेहलाई, तहसील रेहटी, जिला सीहोर जिसका पंजीयन कमांक 1794, दिनांक 19-09-2014 है, को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री एस. डी. राठौर, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर, संस्था के पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा की गई है। परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पद्रह-1 सी, दिनांक 29 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नेहलाई, तहसील रेहटी, जिला सीहोर जिसका पंजीयन कमांक 1794, दिनांक 19-09-2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। इस आदेश के दिनांक से दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नेहलाई, तहसील रेहटी, जिला सीहोर जिसका पंजीयन कमांक 1794 दिनांक 19-09-2014 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय के रूप विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 25-10-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-2473)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

इस कार्यालय का आदेश कमांक / परिसमापन / 2016 / 403, सीहोर, दिनांक 22-04-2016 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिपल्या, तहसील भैरूंदा, जिला सीहोर जिसका पंजीयन कमांक 1793, दिनांक 19-09-2014 है, को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री एस. डी. राठौर, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर, संस्था के पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—5—1—99—पद्रह—1 सी, दिनांक 29 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिपल्या, तहसील भैरुंदा, जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1793, दिनांक 19—09—2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ इस आदेश के दिनांक से दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिपल्या, तहसील भैरुंदा, जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1793, दिनांक 19—09—2014 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय के रूप विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 25—10—2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-2474)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत]

इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/2022/235, सीहोर, दिनांक 17—02—2022 के द्वारा दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नरेला, तहसील रेहटी, जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1644, दिनांक 27—09—2012 है, को म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत श्री एस. डी. राठौर, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर, संस्था के पंजीयन निरस्ती की अनुशंसा की गई है. परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ—5—1—99—पद्रह—1 सी, दिनांक 29 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए, मैं, सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सीहोर, म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के प्रावधान के दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नरेला, तहसील रेहटी, जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1644, दिनांक 27—09—2012 का पंजीयन निरस्त करता हूँ इस आदेश के दिनांक से दुर्घ उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नरेला, तहसील रेहटी, जिला सीहोर जिसका पंजीयन क्रमांक 1644, दिनांक 27—09—2012 विघटित समझी जाएगी और वे निगमित निकाय के रूप विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 31—10—2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-2475)

सुधीर कैथवास, सहायक पंजीयक एवं प्रभारी उप पंजीयक.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 दिसम्बर 2023—पौष 1, शक 1945

भाग 3 (2)

सांख्यकीय सूचनाएँ

(कुछ नहीं)